

दो बच्चों की नीति

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार को हाल ही में उन दावों पर जाँच का सामना करना पड़ा, जिनमें कहा गया था कि उसने 7 जून, 2024 तक [दो-बच्चों की नीति](#) लागू कर दी है। हालाँकि, आधिकारिक बयानों के अनुसार ये रिपोर्टें झूठी हैं और ऐसी कोई नीति अभी तक लागू नहीं की गई है।

मुख्य बटु:

- हालाँकि इस तरह की नीति के लिये एक **प्रारूप वधियक** राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन **इसे पारति नहीं किया गया है और वधिके रूप में तैयार नहीं किया गया है**।
- **उत्तर प्रदेश वधि आयोग** ने वर्ष 2021 में जनसंख्या नयित्रण पर प्रस्तावति वधियक का प्रारूप राज्य सरकार के साथ साझा किया था।
- **उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नयित्रण, स्थरीकरण और कल्याण) वधियक, 2021** नामक प्रारूप वधियक के अनुसार, दो से अधिक बच्चों वाले दंपतियों को सरकारी नौकरियों, पदोन्नति या सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
 - असम में भी ऐसी ही नीति लागू है, जो **असम लोक सेवा (सीधी भरती में छोटे परिवार के मानदंड का अनुप्रयोग) नयिम, 2019** के तहत दो से अधिक बच्चों वाले दंपती को सरकारी नौकरियों से वंचति करती है।

दो बच्चों की नीति

- **आवश्यकता:**
 - भारत की जनसंख्या पहले ही **125 करोड को पार कर चुकी है** और उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों में **भारत वशिव के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन से आगे निकल जाएगा**।
 - **राष्ट्रीय जनसंख्या नयित्रण नीति (2000)** होने के बावजूद भारत **वशिव का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है**।
 - इस प्रकार, भारत के प्राकृतिक संसाधन **अत्यधिक बोझ से दबे हुए हैं** तथा उनका **अत्यधिक दोहन** हो रहा है।
- **आलोचना:**
 - प्रतबंधति बाल नीति के कारण शक्ति युवाओं की कमी के कारण भारत की तकनीकी क्रांति में बाधा आएगी।
 - चीन (एक-बच्चा नीति के परिणामस्वरूप) के सामने आने वाली लैंगिक असंतुलन, अनरिदष्टि बच्चे (बनिा दस्तावेज वाले माता-पति के बच्चे) आदि जैसी समस्याएँ भारत को भी झेलनी पड़ सकती हैं।